राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

1.अपील संख्या 760/2012/उदयपुर
2.अपील संख्या 761/2012/उदयपुर

मैसर्स यश एण्टरप्राइजेज
उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत–सी, उदयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
राजकीय उप अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.09.2015

निर्णय

उपरोक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त(अपील्स, वाणिज्यिक कर,उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के द्वारा अपील संख्या 350/वैट/10–11 एवं अपील संख्या 351/वैट/10–11 में पारित पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 09.12.2011 एवं 31.01.2012 को पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के अधिनियम की धारा 24 एवं 23 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.01.2010 एवं 01.09.2009 के द्वारा जे.बी.सी.मशीन को खनन कार्य में प्रयुक्त होने से उसकी खरीद पर क्लेम किये गये आई .टी.सी. को अस्वीकार किया है,जिसकी पुष्टि करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा आलोच्य अवधि में माईनिंग कार्य में कप्रयोग के लिए जे.बी.सी.मशीनों की खरीद की थी,जिन पर आई.टी.सी.मांगा गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को निर्माणकर्ता नहीं मानकर आई.टी.सी. अस्वीकार किया है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने माईनिंग में प्रयोग हेतु खरीदे गये उक्त माल पर आई.टी.सी.देय नहीं मानकर अपीलें अस्वीकार की है,जिनसे क्षुब्ध होकर ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माइनिग कार्य में प्रयोग के लिए जे बी सी खरीदी थी,जिनकी खरीद पर आई टी सी क्लेम मांग गया था,जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार किया है,जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्माता है इसलिए उसके द्वारा खरीदे गये केटिपटल गुड्स (जे बी सी) पर आई टी सी देय है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए उनकी अपीलें अस्वीकार की है। उन्होंने प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी अपने आपको निर्माणकर्ता मानता है वहीं दूसरी ओर कर निर्धारण अधिकारी खननकर्ता मानते है। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 2(22) के तहत निर्माणकता तथा धारा 2(7) के तहत कैपिटल गुडस की परिभाषा दी गई,जिनको उद्धरित करना समीचीन होगा :–

> "2(22) **"manufacture"** includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government;"

> "2(7) **"capital goods"** *means plant and machinery including parts and accessoriesthereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the Official Gazette;"*

निर्माण एवं केपिटल गुडस की परिभाषाओं के पठन से स्पष्ट है कि खनन प्रक्रिया निर्माण नहीं है तथा खनन सम्बन्धी मशीनरी जे सी बी की खरीद की गई,जो केपिटल गुडस नहीं है। अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत खनन पर आई टी सी देय नहीं है। अधिनियम की धारा 18 निम्न प्रकार है :–

"18. Input Tax Credit. – (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub–section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of –

(a) sale within the State of Rajasthan; or

(b) sale in the course of inter–State trade and commerce; or

(c) sale in the course of export outside the territory of India; or

(d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or

(e) being used as raw material ***,"except those as may be notified by the State Government,"*** in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter–State trade or commerce; or

(f) ***"being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale"*** in the course of export outside the territory of India; or

(g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub–section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub–section."

अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार खनन कार्य में प्रयुक्त मशीनरी पर आई टी सी देय नहीं है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों एवं विधिक प्रावधानो तथा न्यायिक दृष्टान्त का अपीलाधीन आदेश में समावेश करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की है, जो पूर्णतः विधिक है।

फलस्वरूप प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य